

RP No. 1427

5-10-2011

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011-पार्ट-I


जयपुर, दिनांक 29.9.2011

-: आदेश :-

इस विभाग के आदेश संख्या प.3(1)साप्र/2/2011-पार्ट दिनांक 9.9.2011 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	87/09	डॉ० गोविन्द यादव पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभावीकरण अनुभाग बी.पी.लेब, पशुपालन विभाग, जाम डोली, आगरा रोड, जयपुर	III/22, गांधीनगर	30.6.2032
2.	93/09	श्री सुरेश कुमार मोटवानी मुख्य केशियर (सहायक अनुभागाधिकारी), कार्मिक (ग-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	III/36, गांधीनगर	31.10.2013
3.	76/2011	डॉ० सुरेन्द्र पाल मौर्य चिकित्सा अधिकारी, शल्य विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-99, जवाहरनगर	31.7.2039

आज्ञा से



(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर ।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर ।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर ।
6. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. प्रभारी अधिकारी, प्रभावीकरण अनुभाग बी.पी. लेब पशुपालन विभाग, जामडोली, आगरा रोड, जयपुर ।
8. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग को उनके पत्र संख्या प.5(1)साप्र/5/09 दिनांक 19.9.2011 के क्रम में ।
9. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर ।
10. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर ।
11. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर ।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावे ।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, गाँधीनगर/जवाहरनगर, जयपुर ।
14. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे ।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावे ।

OIC(Kleb)  
A  
5-10-2011

16. डॉ० सुरेन्द्र पाल मौर्य, चिकित्सा अधिकारी शल्य, यूनिट-7, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III)ए के तहत छः माह पश्चात् भूतल/प्रथम तल गांधीनगर/बजाजनगर/मालवीयनगर/जवाहरनगर, जयपुर हेतु विचारणीय होगा।
17. संबंधित अधिकारीगण।
18. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
19. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
22. रक्षित पत्रावली।

  
 शासन सहायक सचिव

11/10/20  
 4  
 11/10/20

RR No. 1428  
5-10-2011

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 29.9.2011

-: आदेश :-

निम्न अधिकारी को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	51/03 द्वितीय श्रेणी	श्री अनिल कुमार अग्रवाल आर.ए.एस. राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर	एन-9, गांधीनगर	30.9.2028

शर्त:-

- आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटि के द्वारा आवास का आवस के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

50/

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
- जिला कलक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
- उप सचिव (वीपी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी डायरी संख्या एफ11003766 दिनांक 29.9.2011 के क्रम में।
- प्रबन्ध निदेशक, राजकोष, प्रथम ताल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
- कौषाधिकारी, कौष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, गांधीनगर, जयपुर।
- संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटि द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्तें संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
- संबंधित अधिकारीगण।
- निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्तें संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
- शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
- निजी सहायक, शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
- रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव